तारीख हुक्म	**रणजीत सिह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा)** सू.अ.अपील संख्या 179/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.22	अपीलार्थी रणजीत सिंह राठौड़ निवासी 199, हनवन्त ए, बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05. 2022 में उसके द्वारा (1) ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा के खसरा न. 1473 व 1555 गै.मु. रास्ता के सीमांकन के लिए सेटलमेंट टीम गठन करने के उपरान्त सेटलमेन्ट टीम के क्या कार्य एवं कर्तव्य होते है, उसका पूर्ण विवरण व संबंधित जारी परिपत्र, आदेश एवं किस अधिनियम में किस धारा व नियम में क्या उल्लेख है, की प्रमाणित प्रति (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	